<u>न्यायालयः—अति. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—एक गोहद,</u> <u>जिला—भिण्ड म०प्र०</u>

प्रकरण कमांक:-300005 / 16 (सक्सेशन) संस्थित दिनांक:-14.09.16 1. सुरे

 सुरेन्द्र पुत्र स्व० श्री सुखलाल आयु–31
 साल जाति–बाल्मीक नि0–ग्राम सर्वा तहसील गोहद, जिला भिण्ड म.प्र.

---<u>----आवेदक</u>

बनाम

- 1. सर्व साधारण
- 2. श्रीमती गुड्डीवाई पत्नी रघुवीर नि0 ग्राम कुलैथ हाल नि0—ग्राम सर्वा, तहसील गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0।
- 3. श्रीमती मालती उर्फ संजय आयु 28 साल
- 4. श्रीमती सगुना पत्नी संजय आयु 25 साल समस्त जाति बाल्मीक, निवासीगण—ग्राम पचैरा, तहसील मेंहगांव, जिला भिण्ड, म0प्र0।

<u>----अनावेदकगण</u>

<u>// आदेश //</u> // आज दिनांक 30.03.17 को पारित किया गया//

(1). इस आदेश के द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम का निराकरण किया जा रहा है।

- संक्षेप में वादपत्र इस प्रकार से है कि आवेदक सुरेन्द्र एवं अनावेदक (2). कमांक 02 लगायत 04 के पिता सुखलाल कृशि उपज मंडी समति गोहद जिला भिण्ड में सफाई कर्मचारी के पद पर कार्यरत थे। सेवाकाल के दौरान सुखलाल पुत्र नारायण की दिनांक 17.06.15 को ग्राम सर्वा तहसील गोहद में मृत्यु हो गई थी। मृतक सालाल की पत्नी का स्वर्गवास सुखलाल की मृत्यु के पूर्व दिनांक 04.04.16 को हो गई है। मृतक सुखलाल के उत्तराधिकारी आवेदक एवं अनावेदक क्रमांक 2 लगयत 4 हैं। सुखलाल की मृत्यु निरवसीयत हुई है। मृतक सुखलाल ने अपने जीवन काल में कोई वसीयत निष्पादित नहीं की गई थी। मृतक सुखलाल कृषि उपज मंडी समित कार्यालय गोहद में कार्यरत था। मृतक सुखलाल की मृत्यु दिनांक 17.06.15 को हो चुकी है। मृतक सुखलाल की कृषि उपज मंडी समिति गोहद में पेंशन, अंशदान एवं क्लेम की राशि स्वर्गीय रामहंस का सगा भाई है। मृतक रामहंस की पत्नी ग्यासोबाई की मृत्यु मृतक रामहंस की मृत्यु के पूर्व ही हो चुकी है। रामहंस के कोई संतान नहीं थी। मृतक रामहंस का कोई पुत्र पुत्री नहीं है। आवेदक के अलावा मृतक रामहंस का अन्य कोई बारिस नहीं है। आवेदक अपने भाई मृतक रामहंस का एक मात्र उत्तराधिकारी है। रामहंस की मृत्यु दिनांक 23/07/15 को हो चुकी है। मृतक रामहंस के नाम से भारतीय स्टेट बैंक शाखा मौ रोड गोहद में खाता क. 53049212257 था जिसमें 97616.41 रुपये जमा हैं। बैंक से उक्त राशि मय ब्याज प्राप्त करनी है। बैंक द्वारा उक्त राशि प्रदान करने हेतु उत्तराधिकार प्रमाणपत्र की मांग की गयी है। आवेदक ग्राम जियाजीपुर तहसील गोहद का निवासी है। आवेदक को भारतीय स्टेट बैंक शाखा मौ रोड गोहद में खाता क. 53049212257 में मृतक रामहंस द्वारा जमा की गयी राशि 97616.41 रुपये प्राप्त करने हेतु उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र की आवश्यकता है। अतः आवेदक के पक्ष में उपरोक्त राशि प्रदान करने हेतु उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र जारी किया जावे।
- (3). अनावेदक सर्वसाधारण को दैनिक समाचार पत्र नई दुनिया में दिनांक 17 सितम्बर, 2016 को विधिवत समन प्रकाशित किया गया, परंतु कोई आपत्ति पेश न होने से अनावेदक के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी है।
- (4). अब न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि:—

 क्या आवेदक मृतक रामहंस जाटव का वैधानिक उत्तराधिकारी होकर

भारतीय स्टेट बैंक शाखा मी रोड गोहद में खाता क. 53049212257 में जमा धन राशि 97616.41रुपये मय ब्याज प्राप्त करने हेतु उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्राप्त करने का अधिकारी है।

- उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में आवेदक ग्यादीन अ.सा.1 ने अपने (5). आवेदन एवं शपथ पत्र में यह अभिवचनित किया गया है कि मृतक रामहंस उसका सगा भाई था, जिसकी मृत्यु दिनांक 23/07/15 को ग्राम जियाजीपुर तहसील गोहद में हो चुकी है। मृतक रामहंस की पत्नी ग्यासोबाई की मृत्यु रामहंस की मृत्यु के पूर्व ही हो गयी है। रामहंस के कोई संतान नहीं थी। मृतक रामहंस के कोई पुत्र पुत्री नहीं है। आवेदक के अलावा मृतक रामहंस का अन्य कोई बारिस नहीं है। आवेदक ही मृतक रामहंस का एक मात्र बारिस होकर रामहंस का उत्तराधिकारी है। मृतक रामहंस साधु हो गये थे और वह आवेदक के साथ ही रहते थे। रामहंस की मृत्यु के पश्चात् उनका दहासंस्कार, तेरहवी, पिण्डदान आदि कियाकर्म आवेदक द्वारा ही किया गया था। मृतक रामहंस के नाम से भारतीय स्टेट बैंक शाखा मौ रोड गोहद में खाता क. 53049212257 है जिसमें दिनांक 25 / 06 / 16 तक 97616.41 रुपये की धन राशि जमा है। आवेदक को उक्त धन राशि प्राप्त करने हेतु उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। आवेदक ग्यादीन अ.सा.1 द्वारा अपने अभिवचनों के समर्थन में मृतक रामहंस का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श पी 1, भारतीय स्टेट बैंक शाखा मो रोड गोहद की पास बुक प्रदर्श पी 2, समाचार पत्र की विज्ञप्ति प्रदर्श पी 3 एवं पंचनामा प्रदर्श पी 4 प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है।
- (6). आवेदक साक्षी राजवीर सिंह अ.सा.2 द्वारा भी आवेदन के अभिवचनों के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- (7). इस प्रकार ग्यादीन अ.सा.1 द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि स्वर्गीय रामहंस जाटव उसका भाई था, जिसकी मृत्यु दिनांक 23/07/15 को हो चुकी है। स्वर्गीय रामहंस की पत्नी ग्यासोबाई की मृत्यु रामहंस की मृत्यु के पूर्व ही हो चुकी है। रामहंस के कोई पुत्र—पुत्री नहीं है। आवेदक ग्यादीन ही मृतक रामहंस का एक मात्र बारिस है। आवेदक द्वारा मृतक रामहंस की मृत्यु के संबंध में प्रदर्श पी 1 का मृत्यु प्रमाण—पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसके अवलोकन से यह दर्शित होता है कि रामहंस की मृत्यु दिनांक 23/07/15 को ग्राम जियाजीपुर के तहसील गोहद में हो

चुकी है।

- (8). आवेदक की ओर से प्रदर्श पी 2 की पास बुक भी प्रस्तुत की गयी है। प्रदर्श पी 2 की पास बुक के अवलोकन से यह दर्शित है कि स्वर्गीय रामहंस द्वारा भारतीय स्टेट बैंक शाखा मौ रोड गोहद में खाता क. 53049212257 खोला गया था, जिसमें मृतक रामहंस की 97619.41 रुपये की धन राशि जमा है।
- (9). इसप्रकार आवेदक ग्यादीन अ.सा.1 द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि वह मृतक रामहंस का भाई होकर रामहंस का वैधानिक उत्तराधिकारी है। साक्षी राजवीर सिंह अ.सा.2 द्वारा भी आवेदक ग्यादीन अ.सा.1 के कथनों का समर्थन किया गया है। आवेदक के अभिवचनों के खण्डन में कोई भी साक्ष्य अभिलेख पर नही आयी है एवं वे पूर्णतः अखंडनीय रहे हैं।
- (10). प्र0पी1 के मृत्यु प्रमाणपत्र से यह प्रमाणित है कि स्वर्गीय रामहंस की मृत्यु दिनांक 23/07/15 को हो चुकी है। आवेदक ग्यादीन मृतक रामहंस का भाई होकर मृतक रामहंस का वैधानिक उत्तराधिकारी है। आवेदक के अतिरिक्त मृतक रामहंस का अन्य कोई बारिस दर्शित नहीं है। आवेदक द्वारा उक्त संबंध में प्रदर्श पी 4 का पंचनामा भी प्रस्तुत किया गया है। आवेदक द्वारा जो प्रदर्श पी 2 की पास बुक प्रस्तुत की गयी है उसके अवलोकन से यह प्रमाणित है कि भारतीय स्टेट बैंक शाखा मौ रोड गोहद में मृतक रामहंस के खाता क. 53049212257 में 97619.41 रुपये की धन राशि जमा है।
- (11). चूंकि आवेदक स्व0 रामहंस का भाई होकर स्वर्गीय रामहंस का एकमात्र वैधानिक उत्तराधिकारी हैं इसलिए आवेदक ग्यादीन स्वर्गीय रामहंस की भारतीय स्टेट बैंक शाखा मौ रोड गोहद में जमा धन राशि प्राप्त करने हेतु उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्राप्त करने का अधिकारी है।
- (12). फलतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम विचारोपरांत स्वीकार किया जाता है एवं आदेशित किया जाता है कि यदि आवेदक की ओर से विधिवत न्यायशुल्क एवं 97620 रूपये की सक्षम जमानत प्रस्तुत की जावे तो आवेदक के पक्ष में स्वर्गीय रामहंस जाटव के भारतीय स्टेट बैंक शाखा मौ रोड गोहद में जमा धन राशि 97619.41 रुपये मय ब्याज प्राप्त करने हेतु उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी हो।

आदेश आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया मेरे निर्देशानुसार टंकित किया गया

सही / – (प्रतिष्ठा अवस्थी) अति0व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1, वर्ग–1 गोहद जिला भिण्ड म0प्र0 सही / – (प्रतिष्ठा अवस्थी) अति०व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 वर्ग–1 गोहद जिला भिण्ड म०प्र०

